# कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

क्रमांक : स्था0/2026/ 52 दिनांकः– 23.02.2026

## विज्ञप्ति

शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.8 (2)राज/वाद/24 जयपुर, दिनांक 17.02.2026 के सन्दर्भ में दौसा जिले में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में साइबर क्राईम से संबंधित प्रकरणों में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु जिला मुख्यालय पर विशिष्ठ लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य अभिभाषकगण (योग्यता – साईबर कानून विशेषज्ञ, जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव प्राप्त हो) का पैनल भिजवाया जाना है। अतः इच्छुक अभिभाषकगण अपने मूल बायोडाटा एवं विधिक नियमावली, 1999 के नियम, 16 के अनुसार घोषणा पत्र सहित अपने आवेदन पत्र, दिनांक 09.03.2026 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

23/2/2026

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
दौसा जिला दौसा

क्रमांक : 1816 दिनांकः– 23.02.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1 समस्त न्यायालय दौसा न्यायक्षेत्र
3 अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन दौसा
5 अध्यक्ष बार एसोसियेशन बांदीकुई/सिकराय/महवा/लालसोट
6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, दौसा को विभाग की बेवसाइड पर अपलोड किए जाने हेतु।
7 नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, दौसा
8 सम्बन्धित पत्रावली

23/2/2026

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
दौसा जिला दौसा

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/24 जयपुर, दिनांक 17/2/26

जिला कलक्टर,
....., राजस्थान।

विषयः— साईबर काईम से संबंधित प्रकरणों में पैरवी हेतु नवसृजित विशिष्ठ लोक अभियोजक के पदों पर नियुक्ति के संबंध में अधिवक्ताओं का पैनल भिजवाने बाबत।

संदर्भः— इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 12.02.26

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में साइबर काईम से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु सभी 41 जिला मुख्यालयों पर 1–1 विशिष्ठ लोक अभियोजक के पद सृजित किये गये है।

अतः आपके जिले में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में साईबर काईम से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नवसृजित विशिष्ठ लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 03 एवं अधिकतम सम्भवतः 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल (योग्यता–साईबर कानून विशेषज्ञ, जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव प्राप्त हो) मय मूल बायोडाटा तथा विधि एवं विधिक कार्य विभाग के मेन्यूअल 1999 के नियम 16 के अनुरूप घोषणा पत्र संलग्न कर संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश के परामर्श/अनुशंषा उपरान्त अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ..... को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विशिष्ठ लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति हेतु अधिवक्ताओं का पैनल संबंधित जिला कलक्टर को भिजवाते हुये प्रतिलिपि इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

E.St
17/2/26

RajKaj Ref No.: 20556051
eSign DSC

Document certified by SURESH CHAND BANSAL <SCPRIYABANSAL@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by SURESH CHAND BANSAL
Designation: Secretary
Date :17-02-2026 02:48:40

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12 जयपुर, दिनांक 12/02/2026

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बैंच तथा राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में साइबर क्राईम से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु सभी 41 जिला मुख्यालयों पर 1–1 विशिष्ठ लोक अभियोजक के पद तथा इनके स्टाफ हेतु लेखामद 2014–00–114–01–00 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों का सृजन किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बैंच

| क0सं0 | पद नाम | कुल सृजित पद | रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस |
|---|---|---|---|
| 1 | विशिष्ठ लोक अभियोजक (अधिवक्ता संवर्ग) (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बैंच में पैरवी हेतु 1–1) | 02 | 30,300/– प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस (अति0 राजकीय अभिवक्ता को देय रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस के समान) |

अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त जिला मुख्यालयों पर

| क0सं0 | पद नाम | कुल सृजित पद | पे बैण्ड/ग्रेड पे/ रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस |
|---|---|---|---|
| 1 | विशिष्ठ लोक अभियोजक, (अधिवक्ता संवर्ग) (प्रत्येक के लिए 1–1) | 41 | रू 24,200/– प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस (विशिष्ठ लोक अभियोजक को देय रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस के समान) |
| 2 | कनिष्ठ सहायक | 41 | 5200–20200, ग्रेड पे– 2400/– (एल–5) |
| 3 | होमगार्ड | 41 | – |

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं0 332600124 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।

आज्ञा से,

ह0

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, गृह(विधि)।
6. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान।
9. राजकीय अधिवक्ता एवं अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।
13. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

12/2/26
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि